# राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद

द्वितीय मंजिल, ब्लॉक पांच, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर.

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

फोन : 0141-2703544 *Email : rajssa_rte@yahoo.co.in* फैक्स : 0141-5107388, 2701822


क्रमांक : राप्राशिप / जय / आर.टी.ई. / 2012 / 2833-34 दिनांक : 4/6/12

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

**विषय : जिलों में आरटीई अधिनियम, 2009 से संबंधित कार्य के विभाजन के संबंध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के ध्यान में यह लाया गया है कि विभिन्न जिलों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राज्य नियम, 2011 के क्रियान्वयन के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के नियंत्रणाधीन संचालित जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों यथा – एडीपीसी / एपीसी / कार्यक्रम सहायक आदि को कार्य आवंटन किया जा रहा है तथा उन्हें इस कार्य के लिए सीधा उत्तरदायी बनाया जा रहा है। प्रकरण का परीक्षण किया गया तथा इस संबंध में निर्देशानुसार निम्न निर्देश सभी जिला शिक्षा अधिकारी / ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को पालनार्थ प्रसारित किये जाते हैं :–

1. अधिनियम 2009 एवं राज्य नियम 2011 के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य स्तर पर दायित्व निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान का है। अतः इस संदर्भ में मॉनिटरिंग निदेशालय स्तर पर ही की जानी है। कार्य में सहयोग के लिए एसएसए द्वारा उप निदेशक, आरटीई एवं सहायक निदेशक, आरटीई स्तर के दो अधिकारी उपलब्ध कराये गये हैं जिनकी सेवाऐं अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा आवश्यकतानुसार ली जा सकेंगी।
2. जिला स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राज्य नियम, 2011 की क्रियान्विति का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा का है। उनके सहयोग के लिए एसएसए द्वारा एपीसी, आरटीई स्तर के अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है जो उनके निर्देशन में आरटीई के क्रियान्वयन संबंधी कार्य करेंगे। जिन जिलों में अभी पद रिक्त हैं उन्हें भी भरने का प्रयास परिषद स्तर से किया जा रहा है। अतः **आरटीई से संबंधित जिला स्तर के सभी कार्य जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में उनके कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा सम्पन्न किये जायेंगे। इस कार्य के लिए एसएसए कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों को सीधा दायित्व नहीं दिया जाये क्योंकि ऐसा करने से एसएसए के अन्य कार्यों की क्रियान्विति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।**
3. ब्लॉक स्तर के कार्यों का दायित्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं उनके कार्यालय में कार्यरत अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों एवं अन्य कार्मिकों का होगा।

कृपया उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि :–
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. समस्त उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा / समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा।
4. समस्त जिला प्रभारी, परिषद मुख्यालय, जयपुर।

अतिरिक्त आयुक्त

D/Letter RTE 2012